230

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) उत्तर प्रदेश प्रयागराज।

आदेश संख्या नियुक्ति MALE/4841/ 2021-22 दिनांक 12/08/2021

विज्ञप्ति/नियुक्ति

लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा सेवा (प्रशिक्षित स्नातक वेतनक्रम) पुरूष/महिला शाखा वेतनक्रम रू0 44900-142400, लेवल-7 में सीधी भर्ती सामान्य चयन सहायक अध्यापक/अध्यापिका सामाजिक **विज्ञान** के पद पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उन्हें क्रम 5 पर अंकित विद्यालय में नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई है जिसे किसी भी समय 03 माह पूर्व नोटिस अथवा 01 माह का वेतन देकर उनकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं। प्रथम नियुक्ति के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को कोई भी यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। उनकी पारस्परिक ज्येष्ठता पृथक से निर्धारित की जाएगी:-

1	लोक सेवा आयोग का अनुक्रमांक	194809
2	चयनित अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी का नाम	KRISHNA DEO PANDEY
3	पिता / पति का नाम	ASHUTOSH DATT PANDEY
4	जन्मतिथि	01/07/1990
5	विद्यालय का नाम जहाँ पदस्थित किया गया	राजकीय हाईस्कूल तिलाव,लालगंज , मीरजापुर, मीरजापुर[हाईस्कूल] केवल पुरुष के लिए
6	जनपद	मीरजापुर

डा0 (अंजना गोयल)
अपर शिक्षा निदेशक (राजकीय)
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या नियुक्ति/ MALE/4841(1-12) /2021-22 दिनांक उसी तिथि को।
उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- सम्बन्धित प्रधानाचार्य/ प्रधानाचार्या/ प्रधानाध्यापक/ प्रधानाध्यापिका राजकीय इण्टर कालेज/ राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (बालक/बालिका) को इस आशय से प्रेषित कि वे उनके विद्यालय में नियुक्त किये गये अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उसके समस्त मूल प्रमाण पत्रों का सावधानी से पूर्णरूपेण परीक्षण कर लें एवं सन्तुष्ट होने के उपरान्त ही नियुक्ति पत्र निर्गत होने के 15 दिन के अन्दर कार्यभार ग्रहण करायें। उनके मूल प्रमाण पत्र में किसी प्रकार की संदिग्धता अथवा भिन्नता होने पर कार्यभार ग्रहण न करायें तथा अपर शिक्षा निदेशक(राजकीय) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को प्रकरण संदर्भित कर निर्देश प्राप्त करने के उपरान्त ही यथास्थिति कार्यवाही करे। उनके समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्रो की दो-दो प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ही निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की भी दो-दो प्रतियाँ प्राप्त कर लें तथा कार्यभार ग्रहण कराने की सूचना के साथ प्रमाण पत्रो की एक प्रति अपर शिक्षा निदेशक(राजकीय) उत्तर प्रदेश प्रयागराज को उपलब्ध करायें।

(क) दो राजपत्रित अधिकारी (जो उनके सम्बन्धी न हो) द्वारा प्रदत्त आचरण प्रमाण पत्र।

(ख) विवाहित होने की स्थिति में अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी इस आशय का प्रमाण पत्र स्वयं दे कि उनके एक से अधिक जीवित पत्नी/प नहीं हैं।

(ग) मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र (मूल एवं एक प्रमाणित प्रति)।

(घ) चयनित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी से इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त किया जाय कि उनके द्वारा प्रस्तुत अंक पत्रों /प्रमाण- पत्रों डिग्री/जाति प्रमाण पत्र व अन्य अर्हता सम्बन्धी प्रमाण पत्रों में किसी प्रकार की भिन्नता आती है अथवा किसी भी प्रकार का त गोपन पाया जाता है तो उनके विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जाय तथा उनका अभ्यर्थन/चयन नियुक्ति निरस्त कर दी जाय।

(ङ) उक्त सहायक अध्यापक/सहायक अध्यापिका कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रहेंगे। उन स्थायीकरण के संबंध में परिवीक्षा अवधि की सफलतापूर्वक समाप्ति के उपरान्त विचार किया जायेगा।

(च) अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी का चल-अचल सम्पत्ति का घोषणा पत्र।

(छ) उक्त अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी यदि दूसरे विभाग में कार्यरत है और वहां से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर/पूर्ववर्ती विभाग की सेव छोडकर माध्यमिक शिक्षा विभाग में योगदान देता / देती है तो उसे अपने पूर्ववर्ती विभाग से "नो ड्यूज" का प्रमाण पत्र कार्यभ ग्रहण करने के समय प्रस्तुत करना होगा।

(ज) आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की छाया प्रति संबंधित संस्थाओं को सत्यापन हेतु प्रेषित किया जा रहा है संस्थाओं से सत्यापन प्रमाण पत्र उपलब्ध होने के उपरान्त निदेशालय से वेतन भुगतान की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही वेत आहरण की कार्यवाही की जाय।

2- संबंधित अभ्यर्थी/ अभ्यर्थिनी को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने नियुक्ति के विद्यालय के प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका के समक्ष आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर मूल प्रमाण पत्रो के साथ उपस्थित हों ए शैक्षिक तथा ''क'' से ''छ'' तक के प्रमाण पत्र की दो-दो प्रमाणित छाया प्रतियां प्राप्त करायें, तदुपरान्त कार्यभार ग्रहण करे अन्य उक्त अवधि के उपरान्त इनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी (अपने जनपद के) द्वारा प्रदत्त चिकित्सी प्रमाण पत्र मूल रूप में उपलब्ध कराया जाय। सेवा शर्तो के संबंध में, समय-समय पर शासन/विभाग द्वारा निर्गत आदेश बाध्यका होंगे।

3- सचिव (माध्यमिक शिक्षा) उत्तर प्रदेश शासन, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-2, लखनऊ।

4- वै0स0, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) उ0प्र0, लखनऊ।

5- वै0स0, अपर शिक्षा निदेशक, (राजकीय/माध्यमिक) मुख्यालय, प्रयागराज।

6- सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी को इस आशय/अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी का स्वास परीक्षण कर प्रमाण पत्र निर्गत करने का कष्ट करें।

7- संबंधित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक/उप शिक्षा निदेशक (मा0) , उत्तर प्रदेश।

8- संबंधित जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक / जिला विद्यालय निरीक्षक(द्वितीय), उत्तर प्रदेश कृपया विन्दु संख्या-1 के (क) (छ) तक की कार्यवाही अपनी देख-रेख में करने के साथ 1 के अंश (ज) का परीक्षण एवं क्रियान्वयन निदेशालय की अनुमति उपरान्त सुनिश्चित करें।

9- संबंधित जनपद के वित्त एवं लेखाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा), उत्तर प्रदेश।

10- संबंधित जनपद के कोषाधिकारी उत्तर प्रदेश।

11- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

12- गार्ड फाईल।

डा0 (अंजना गोयल)
अपर शिक्षा निदेशक (राजकीय)
उत्तर प्रदेश।

2873E67C38E94BC9C538194F21BD9EA2175A7CC2